

DCP	
Addl. DCP-I	
Addl. DCP-II	
AC/HQ	Appellate Authority
Insp./Admn	Commissioners of Police
RTI	

No. 208/Appeal/RTI/17 AM/NE.D. dt 19/9/17

176/17-  
19/9/17

Ex. No. 9543.../G.D./NE  
dt. 19/9/17

Dist: N.E - Seelampur

Delhi - 110053

दिनांक 18.9.17

विषय: R.T.I के द्वारा मांगी जानकारी सही नहीं है, व सतुष्ट न होना।

श्रीमान

मैं अपेक्षित सिधे Sloate इन्स्पेक्टर सिधे। मैंने R.T.I के तहत एक जानकारी मांगी थी दिनांक 17.7.17 = R.T.I No. 2058/17, मुझे आपकी तरफ से दिनांक 21.8.17 को जवाब मिला, जो सही नहीं है, जो जानकारी मैंने मांगी थी वह मुझे नहीं मिली है। R.T.I जवाब की कॉपी साथ लगा रहा है, मैंने R.T.I के तहत 6 सवालों का जवाब मांगा था (i) यह कि A.C.P साहब ने मेरे गोदाम/कमरा का ताला तोड़कर कब्जा किया-शाशिकला व 3 लक परीनादने के बारे में) व्याप्त लिपि मेरे, कानून खुद के लेपटाप पर भी नोट किया था - मैं इसकी नकल मांगी थी- जो कहा है रिमांड नहीं है।

(ii) ताला काटने वाले व्यक्ति के मेरे सामने लिखित में व्याप्त लिपि मांगी थी इसके लिपि भी मुझे जवाब में मना कर दिया है। - यह सही नहीं है जवाब।

(iii) मेरा पांचवा सवाल था कि मेरा गोदाम/कमरा का ताला तोड़ने - काटवाने वाली शाशिकला पर क्या कानूनी कार्यवाही की है, मुझे बताया जाये - इसका जवाब मुझे दिया है कि - थाने से S.H.O नं. 107/150 की कार्यवाही की है जो जवाब गलत है, मेरे गोदाम/कमरा का ताला मेरा का ताला अलग-अलग दिन तोड़ा और काटवाया गया, इसके दो गैर हैं इस गोदाम/कमरा का ताला तोड़ना, करवाना आदि का सारा हवाला

②  
 मैंने अपनी दिनांक 25.10.16 को शिकायत, जो मैंने D.C.P साहब से मिलकर उठे ही दी थी। मैंने गोदाम/कमरा के दो गेट हैं और इस गेट पर दो ताले लगा हुये थे - एक ताला अंदर वाले गेट का दिनांक 13.10.16 को तोड़ा गया और दूसरा ताला दिनांक 16.10.16 को काटवा दिया गया - इसकी लिखित शिकायत मैंने D.C.P साहब से मिलकर उनका दिनांक - 25.10.16 को दी थी, जिसका ब्योरा यह है -  $\frac{1252 PHL}{25.10.16}$  HACNE और  $\frac{187 PHL}{28.10.16}$  यह जानकारी मुझे A.C.P ऑफिस - गोकुलपुरी से दी गई थी।

→ अब मेरा 5वाँ सवाल यह था कि जब A.S.I खंडरजी ताला काटने वाले व्यक्ति को पकड़कर A.C.P के समक्ष ले आये तो कानूनी कार्यवाही बनती है - आपने जवाब दिया है कि 10/10 को कार्यवाही की गई जो आपका जवाब सही नहीं है

(VII) मेरा छठा सवाल था कि मेरे गोदाम/कमरा में मेरा किमती समान जिसका ब्योरा 13.10.16 को A.S.I मदन सिंह ने लिखवा लिया था, उसके बाद मेरी लिखित शिकायत दिनांक  $\frac{25.10.16}{D.C.P-office}$  में भी मैंने गोदाम/कमरा में मेरे किमती समान का ब्योरा दिया है, मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे गोदाम/कमरा में क्या मेरा किमती समान छिपा हुआ है / समान गोदाम/कमरा में ही है - या शाशिकला और उसके परिवार ने आपस कर दिया, - जो कि से हटा दिया या चोरी कर लिया, - मैंने यह जानकारी माँगी थी छठे सवाल में - जो मुझे नहीं दी गई है

मैंने सुप्रीम मुझे यह जानकारी के लिए  
 MR. BHUPENDER SINGH  
 C4/187 Yamuna Vihar  
 9971629268